

प्रति

कुलाधिपति,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय कार्यपरिषद में संकायाध्यक्ष श्रेणी से नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा डॉ० अतुल दुबे, संकायाध्यक्ष, मैनेजमेंट संकाय को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में संकायाध्यक्ष श्रेणी से सदस्य नामनिर्देशित किया जाता है।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार
सही /-
राज्यपाल के उप सचिव
मध्यप्रदेश


रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12/6/2019

पू० क्रमांक./अकाद./2019/437/अ

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगण ।
- 2 राज्यपाल के उप सचिव, राजभवन, म.प्र. भोपाल ।
- 3 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल ।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल ।
- 5 समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रा०दु०वि०, जबलपुर ।
- 6 कुलाधिपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०, जबलपुर ।
- 7 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के समस्त सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में इस अधिसूचना को आगामी अंक में समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
- 8 विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड ।
- 9 प्रगारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।


12.6.19
कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर 